क्रम संख्या–56

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0–30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 31 मार्च, 2015 ई0

चैत्र 10, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 101/XXXVI(3)/2015/21(1)/2015

देहरादून, 31 मार्च, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **""उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2015"** पर दिनांक 31 मार्च, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 10 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 10 वर्ष 2015)

{भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित}

उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 में खण्ड (थ) का प्रतिस्थापन

2. उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम, 2003 जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 (ह–2) खण्ड (त) के पश्चात् खण्ड (थ) निम्नवत् रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

"**खण्ड (थ)** निर्वाचन प्राधिकरण का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा गठित सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण से है।"

धारा 29 की उपधारा (3–क) का प्रतिस्थापन

3. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (3–क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं प्रतिस्थापित कर दी जायेंगी, अर्थात्:–

"**(3–क)** प्रत्येक सहकारी समिति के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार राज्य सरकार द्वारा गठित स्वतंत्र सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में निहित होगा।

(3–ख) सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा–शर्ते और निबन्धन ऐसे होंगे, जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय। प्राधिकरण हेतु कार्मिकों की संख्या व योग्यता ऐसी होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय।"

निरसन और अपवाद

4. (1) उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 2015 (अध्यादेश संख्या 02 वर्ष 2015) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए उपधारा (1) में विर्निदिष्ट अध्यादेश के अधीन की गई कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के ततधानी उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।